PODDAR PIGMENTS

Ref: PPL/JPR/SECT/2026-27

Date: 22nd August, 2026

BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051

Scrip Code : 524570

Company Symbol : PODDARMENT

Sub: Newspaper Publication of 35th Annual General Meeting

Dear Sir(s)/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication published in "Business Standard" (English Edition) and "Nafa Nuksan" (Hindi Edition) on 22nd August, 2026, in respect of the Notice of 35th Annual General Meeting scheduled to be held on 21st September, 2026 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Poddar Pigments Limited

RAJEEV KUMAR
Digitally signed by RAJEEV KUMAR
Date: 2026.08.22 12:23:01 +05'30'

Rajeev Kumar
Company Secretary and Compliance Officer
ACS No. 33990

Encl: As above

Poddar Pigments Limited
Regd. Office & Works :
E-10-11 & F-14 to 16
RIICO Industrial Area, Sitapura
Jaipur - 302 022 Rajasthan, India.
Tel.: +91-141-2770202/03/287/291
Fax : +91-141-2771922
Email : jaipur@poddarpigmentsltd.com
CIN : L24117RJ1991PLC006307
GSTIN : 08AAACP1125E1ZZ

LOST & FOUND

I, Shailender Nath Sharma S/o Late Shri Mahender Nath Sharma R/o House No. 83 Sector-17A, Gurugram Haryana-122001, have lost my original Sale Deed of Land purchased vide E-Stamp No. VGS2020C13 (3 Kanal & 14 Marla Land). The Land is situated at Vill. Para, Teh.-Tauru, Distt.-Nuh, Haryana as per my FIR No. LR No. 539312/2026 Dated 14th August 2026. If anybody found please contact - 9810070236.

NORTHERN RAILWAY

CORRIGENDUM

Ref: Tender Notice No. 20/2026-2027 dated 15.06.2026 S.No. 03
Tender Number 77259051RGC Opening date 27.08.2026

In reference to above, Tender Opening date has been extended from 27.08.2026 to 08.09.2026. Price Variation Formula has also been revised. All other terms and conditions remain unchanged. The corrigendum has been published on website **www.ireps.gov.in.** Note: This is the Fourth Corrigendum in above referred tender. Date: 21.08.2026 **2920/2026**

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

NORTHERN RAILWAY

Invitation of Tenders through E-Procurement System

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

S. No.	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing Date
01	08265100A	MATERIALS OF SLIDING BOOM	271 SET	17.09.2026
02	19262604	1-1/4 INCH CUT OFF ANGLE COCK	3126 NOS	21.09.2026

Note:- 1. Vendors may visit the IREPS website i.e. **www.ireps.gov.in** for details.
2. No manual offer will be entertained.

Tender Notice No.: 37/2026-2027 Dated: 21.08.2026 **2917/2026**

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226007
(Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons of Filing Reply & Appearance by Publication

O.A. NO. 157 OF 2026 Date: 14.07.2026

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED ..... Applicant Bank

Versus

SHRI PANKAJ SINGH & ANR. ..... Defendants

To

1. **Shri Pankaj Singh** Son of Shri Ganga Ram Singh, Resident of House No. 640, Pasonda Sahibabad, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005.
Second Address:- Residential House No. 475, built upon Khasra No. 429, Village Sahibabad, Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaizabad, Uttar Pradesh - 201005.
2. **Smt. Nishu Rani** Wife of Shri Pankaj Singh, Resident of House No. 640, Pasonda Sahibabad, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005.
Second Address:- Residential House No. 475, built upon Khasra No. 429, Village Sahibabad, Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaizabad, Uttar Pradesh - 201005.
Third Address:- Residential House No. 560, Shalimar Garden, Sahibabad Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201005.

.....Defendants

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **06.10.2026** at **10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

UCO BANK NEW SABZI MANDI BRANCH

APPENDIX IV { Refer Rule 8(1)}

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken the possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of **UCO BANK** for the amounts and interest thereon. **Detail of Property where possession had been taken is as follows:**

Name of the Borrower/ Guarantor	Description of the Immovable Property	Amt o/s (as mentioned in the Notice u/s 13(2))	Date of Demand Notice	Date of Possession
SHRI CHANDRABHAN AND SMT. REETA DEVI	All that part and parcel of the property- **Free Hold DDA Built UP Flat Bearing No-42, On Ground Floor, Area Admeasuring 33.29 Sq. Mtrs. Under LIG Category, In Pocket -5, Block-9B Sector 35, Situated In The Layout Plan Of Rohini Residential Scheme Delhi-110042. Bounded : On the North by :** Entrance, **On the South by :** Service Lane, **On the East by :** Flat No. 41, **On the West by :** Flat No. 43	Rs. 1412969.84/- AS ON 30.04.2026	16.05.2026	19.08.2026

DATE: 19.08.2026. PLACE: DELHI Sd/- AUTHORISED OFFICER UCO BANK

MANORAMA INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Office No. 701, 7th Floor, Bonanza Building, Sahar Plaza Complex, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400059.
Corporate Office: F-6, Anupam Nagar, Raipur - 492007, Chhattisgarh
CIN: L15142MH2005PLC243687
Tel No: 022-67088148, **Fax:** 0771 4056958
Website: www.manoramagroup.co.in ; **E-mail:** cs@manoramagroup.co.in

INFORMATION REGARDING 21ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM").

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Manorama Industries Limited ("the Company") will be held on **Monday, September 21, 2026** at 03:00 P.M. (IST) through **VC /OAVM** , pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with MCA circular dated September 22, 2025 and relevant SEBI circulars to transact the businesses as set forth in the notice convening the meeting ("Notice").

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM along with Annual Report of the Company for the financial year 2025-26 along with login details for joining the 21st AGM through VC or OAVM will be sent to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (s) and Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited ("MUFG") and the same will also available on website of the Company at www.manoramagroup.co.in/ , on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the MUFG at https://www.in.mpms.mufg.com.

Manner of registering / updating email addresses to receive the Notice of AGM along with Annual Report:

For those members who have not registered their email address with the Company or with their respective Depository Participant, can register the same in the following manner:

i.In case, you are holding shares in demat form and you have not registered your email id with the Depository Participant, you are requested to register/update your email id with the Depository Participant or temporarily registration with Registrar and Share Transfer agent by sending a duly signed request letter to MUFG Intime India Private Limited at their email id investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

ii.In case, you are holding shares in physical form and you have not registered your email id, you are requested to register/update their email address by sending a duly signed request letter to MUFG Intime India Private Limited, at their email id investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

MANNER OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT THE AGM:

The Company has engaged the services of MUFG Intime India Private Limited ("MUFG") to provide remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM. The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 21st AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). The detailed procedures and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the AGM for all the members (including the members holdings shares in physical form/whose email addresses are not registered with the Depository Participants/Company/RTA) are stated in the Notice of the 21st AGM of the Company.

form/whose email addresses are not registered with the Depository Participants/ Company/RTA) are stated in the Notice of the 21st AGM of the Company.

For Manorama Industries Limited
Sd/-
Deepak Sharma
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: A48707

Place: Raipur
Date : August 22, 2026

PODDAR PIGMENTS Poddar Pigments Limited

CIN: L24117RJ1991PLC006307
Regd. Office: E-10-11 & F-14 to 16, RIICO Industrial Area, Sitapura, Jaipur, (Rajasthan) - 302022
Tel. No: 0141-2770202/03,
E-mail :com.sec@poddarpigmentsltd.com, **Web :** www.poddarpigmentsltd.com

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Poddar Pigments Limited ("Company") will be held on Monday, 21st September, 2026 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 and 03/2025 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January, 2021, 8th December 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022, 25th September, 2023, 19th September, 2024 and 22nd September, 2025 respectively, I ssued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79,SEBI /HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62,SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 12th May 2020, 15thMay, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023, 7th October, 2023 and 3rd October, 2024 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

In accordance with the aforementioned MCA Circulars and the SEBI Circulars, the Notice of 35th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2025-26 will be sent only by email to all those members, whose email addresses are registered with the Company or with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participants ("DPs") unless any member has requested for a physical copy of the same. Further, a letter providing the web link including the exact path, where complete details of the Annual Report for FY 2025-26 of the company is available, will be sent to those shareholders who have not registered their e-mail address with the Company/ RTA/ Depositories/Depository Participant(s). Members can join and participate in the 35thAGM through VC/ OAVM facility only. The procedure and instructions for joining the 35th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through e-voting system during the 35th AGM (including the members holding shares in physical form or whose email addresses are not registered with the DPs/Company/RTA) are provided in the Notice of 35th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of 35th AGM and the Annual Report will also be available on Company's website i.e. www.poddarpigmentsltd.com, Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website i.e. www.evotingindia.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. Members who have not registered their e-mail address with the Company/RTA/DPs, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the FY 2025-26 and the login details for remote e-voting or e-voting at AGM:

Physical Holding	Please visit the link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html and follow the process for updation of e-mail ID as guided therein. The member who updates their email address post-dispatch of the Notice of 35th AGM of the Company, may request to RTA for issuance, through e-mail, the soft copy of the Notice and the procedure for remote e-voting along with the User ID and password to enable e-voting for this AGM. In case of any query, the member may send an e-mail to RTA at investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Demat Holding	Please contact your DP and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 15th May, 2026, has recommended final dividend of Rs. 4/- per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year 2025-26, which is subject to approval of the shareholders at the ensuing 35th AGM. SEBI, vide its Circular dated 3rd November, 2021, read with subsequent circulars issued in this regard has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination, by holders of physical securities. As per the said mandate, members, holding securities in physical form, whose folio(s) are not updated with any of the KYC details [viz., (i) PAN; (ii) Choice of Nomination; (iii) Contact Details; (iv) Mobile Number; (v) Bank Account Details, and (vi) Specimen Signature, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from 1st April, 2024. In accordance with the above, dividends, in respect of physical folios wherein any of the above KYC details are not updated before the cut-off date, will be held back by the Company. Members may please note that the dividends will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio. Please update the same by following the below instructions:

Physical Holding	Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN, KYC and Nomination details by sending a duly filled and signed Form ISR-1, ISR-2, ISR-3 or SH-13, as applicable, to RTA i.e. MUFG Intime India Private Limited at C - 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), MUMBAI-400083. The forms can be downloaded from https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html. In case of any query, the member may send an e-mail to RTA at investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Demat Holding	Members holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their respective Dps.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct Income Tax at Source ('TDS') from dividend paid to the members at prescribed rates in the Income Tax Act, 2025 (the 'IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with RTA by sending requisite documents.

By order of the Board of Directors
For Poddar Pigments Limited
Sd/-
Rajeev Kumar
Company Secretary and Compliance Officer
ACS: 33990

Place : Jaipur
Date : 21st August, 2026

Rise above the market's ups and downs with the right insight.

In the ever-changing market landscape, a broader view helps you make smarter choices. Business Standard delivers sharp market analysis, timely intelligence, and expert Q&As—giving you the clarity to navigate the markets with confidence.

Stocks in the News
Stay ahead everyday with our special feature on key stocks—tracking sharp upward or downward trends and the reasons behind every move.

The Compass
Explore in-depth analysis of select stocks and sectors—current trends, key drivers, and potential opportunities to watch.

Q&A
Kickstart your week with interviews featuring top business leaders—sharing sharp perspectives and market outlooks, every Monday morning.

To book your copy,
SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

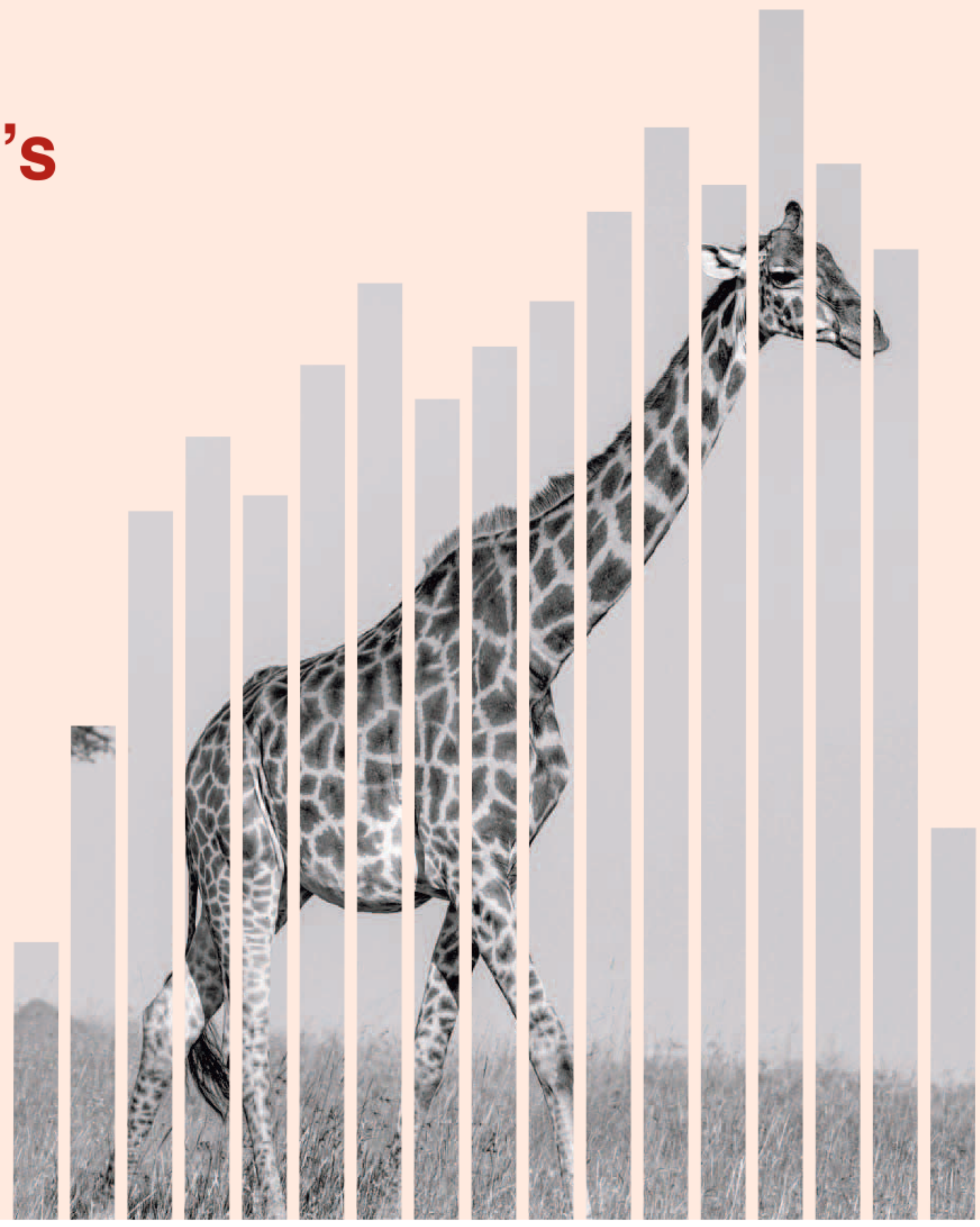

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business.standard business-standard business-standard.com

For Your Information

3.7× rise in outsstanding education loan in the last 11 years (2014-2025) (In Rs. Lakh Crore):

2014 — 0.54
2015 — 0.63
2016 — 0.68
2017 — 0.72
2018 — 0.77
2019 — 0.79
2020 — 0.92
2021 — 0.90
2022 — 1.00
2023 — 1.26
2024 — 1.65
2025 — 2.03

(DoE)

Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन

बदले की बजाय बदलाव की भावना रखें। दुश्मनी बदले से नहीं, प्रेम और क्षमता से ही मिटाई जा सकती है। जो क्षमा करेगा और बीती बातों को भूल जाएगा, उसे प्रभु के घर से पुरस्कार मिलेगा।

- श्री चन्द्रप्रभ

Thoughts of the time

One should...be able to see things as hopeless and yet be determined to make them otherwise.

-F. Scott Fitzgerald

The more you sweat in peacetime, the less you bleed during war.

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घी घालै तौ गोडा हालै

घी डाले तो घुटने चलें

■ पौष्टिक पदार्थ खाने से ही शरीर चलता है। वृद्धावस्था में तो पौष्टिक भोजन के बिना शरीर एकदम जवाब दे जाता है।

-स्व. विजय दान देथा
साभार : रूपायन संस्थान, बोरूंदा

यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटिलिटी सेक्टर में निवेश करने को उत्सुक

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

मुख्यमंत्री को दुबई यात्रा के लिए किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की कंपनियों को ऊर्जा और हॉस्पिटिलिटी सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राजस्थान की समृद्ध विरासत, पर्यटन की संभावनाओं और निवेश के अनुकूल माहौल को रेखांकित किया। जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में आयोजित यूएई-राजस्थान पर्यटन एवं निवेश गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राजस्थान में किलों, महलों, हवेलियों, रेगिस्तान, वन्यजीव अभयारण्यों, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, कपड़ा और खनिज संसाधनों के कारण निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

शर्मा ने कहा, ''यूएई की कंपनियों के लिए राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। राजस्थान में निवेश से नुकसान नहीं, केवल लाभ होगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए अनुकूल औद्योगिक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति सहित कई नीतियां लागू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य की विरासत के संरक्षण का उल्लेख करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास के साथ विरासत' के दृष्टिकोण के अनुरूप शेखावाटी क्षेत्र की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। मुख्यमंत्री ने भारत और यूएई के बीच बढ़ते संबंधों का भी उल्लेख किया और खाड़ी संकट के दौरान भारतीय समुदाय को दिए गए सहयोग के लिए यूएई नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच संबंधों में काफी मजबूती आई है। मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा से दोनों देशों की साझेदारी को और गति मिली। शर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है।

उन्होंने कहा कि यूएई में रह रहे करीब 45 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं। यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल-मरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच संबंध बेहद खास हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हुए अल-मरी ने भारतीय व्यंजनों का भी उल्लेख किया और कहा कि राजस्थान और यूएई दोनों में आतिथ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, ''यूएई की कंपनियां राजस्थान के आतिथ्य क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं।'' यूएई के मंत्री ने जयपुर और दुबई के बीच हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने की इच्छा भी जताई। अल-मरी ने कहा कि यूएई-राजस्थान पर्यटन एवं निवेश गोलमेज बैठक भारत और यूएई के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा को दुबई आने का निमंत्रण भी दिया।

टेक्सटाइल व डेटा सेंटर आदि को मिलेगा फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल का फायदा

जयपुर@का.सं.। राज्य में टेक्सटाइल एवं अपैरल, हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग जैसे विशेष क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये रीको ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रीको के फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल के अंतर्गत अब टेक्सटाइल एवं अपैरल, हस्तशिल्प, एग्रो एवं मिल्क प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, वूल (ऊन) प्रोसेसिंग, सेरेमिक्स एवं ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल उत्पाद तथा डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को भी भूखंड की राशि के भुगतान के लिए 10 वर्षों की किश्त सुविधा प्रदान की जायेगी। रीको द्वारा पूर्व में लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एंड डिफेंस तथा वेस्ट प्रोसेसिंग एवं रीसाइक्लिंग क्षेत्रों के लिए फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल की सुविधा प्रदान की गई थी। फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल के अंतर्गत, आवंटित भूमि के प्रीमियम की 10 प्रतिशत राशि, जिसमें आवेदन के साथ जमा 5 प्रतिशत ईएमडी राशि समायोजित की जाती है, लेटर ऑफ ऑफर जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा कराना होता है। शेष 90 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने और नए औद्योगिक अवसर विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025, राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी-2025 तथा राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी-2026 जैसी महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गई हैं। इन नीतियों का फायदा उठाते हुए निवेशक इन विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित हों, इसलिये फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल में नए क्षेत्र जोड़े गये हैं।

ब्रीफ न्यूज

ऑटो वर्ल्ड पर महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6 SPORTEQ की भव्य लॉन्चिंग

जयपुर@का.सं.। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक वाहन BE6 SPORTEQ सीरीज़ का भव्य उद्घाटन ऑटो वर्ल्ड डीलरशिप पर किया गया। इस अवसर पर मोहित फलोड़ द्वारा नई BE6 SPORTEQ का अनावरण किया गया। उद्घाटन समारोह में आरएसबीएम वरुण शर्मा, एएसबीएम पूर्वी आर्या, सीईएम नेहा चौधरी, डायरेक्टर अनुपम सांखला एवं जीएम विनीत सहगल सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों ने नई BE6 SPORTEQ के आकर्षक डिजाइन, आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक फीचर्स का अवलोकन किया। महिंद्रा की नई BE 6 SPORTEQ सीरीज़ की शुरुआती कीमत 11.45 लाख रखी गई है। BE 6 SPORTEQ को खास तौर पर ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ स्टाइल, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और ड्राइविंग अनुभव में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। वाहन में आधुनिक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ भविष्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की झलक देखने को मिलती है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 06 से अधिक उद्योगों को अनुदान स्वीकृत

जयपुर@का.सं.। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सहित ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन व ट्रेनिंग एण्ड स्किलिंग के लिए व्यापक परिलाभों के माध्यम से उद्योगों को संबल प्रदान किया जाता है। इस के लिए योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर 25 करोड़ से आधिक निवेश करने वाले उद्यमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा पात्रता अनुसार विभिन्न परिलाभ स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त समिति की बैठक में 06 से अधिक उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव, थ्रस्ट बूस्टर/ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेन्टिव जैसे विविध परिलाभ स्वीकृत किये गये है, जिनमें 580 करोड़ रूपये वास्तविक निवेश तथा 1699 का रोजगार सृजन हुआ है, जो कि योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे राज्य में निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

रीको की अविकसित एवं अर्धविकसित भूमि की ई-नीलामी के लिये आवेदन 31 अगस्त तक

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीको द्वारा अविकसित एवं अर्धविकसित भूमि का सरल ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 24 भूखण्ड निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इच्छुक निवेशक दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन एवं ईएमडी जमा कर सकते हैं। भूखण्डों के लिए ऑनलाइन बिडिंग दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर, 2026 तक आयोजित की जाएगी। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रीको द्वारा उदयपुर के माल की टूस में 2 तथा जयपुर के दौलतपुरा में 7 भूखण्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन आधारित परियोजनाओं एवं निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।

नेशनल • इंटरनेशनल

डीजीएफटी ने एक्सपोर्टर्स को रुपये में बिल जारी करने, भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी

नयी दिल्ली@एजेंसी। सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए विदेशों में बिक्री का बिल भारतीय रुपये में जारी करने और भुगतान रुपये में प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विदेश व्यापार नीति के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। इन संशोधनों का दायरा सभी देशों को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर लागू होगा। हालांकि, गंतव्य देश के अनुसार नियम अलग-अलग होंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 के दो अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय रुपये में एक्सपोर्ट अनुबंधों के मूल्य निर्धारण और एक्सपोर्ट से प्राप्त आय के आधार पर एफटीपी लाभों की पात्रता से जुड़े प्रावधानों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान तरीका) विनियमन, 2023 के अनुरूप बनाना है। एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) से बाहर के देशों के लिए अब एक्सपोर्ट अनुबंध और चालान यानी बिल किसी भी विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये में बनाए जा सकेंगे। इससे पहले आमतौर पर एक्सपोर्ट से होने वाली आय का भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त करना होता था। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी देश से भारतीय रुपये में प्राप्त पात्र एक्सपोर्ट भुगतान अब एफटीपी लाभ के लिए योग्य होंगे और एक्सपोर्ट दायित्वों को पूरा करने में गिने जाएंगे। जीटीआरआई के अनुसार, स्वीकृत बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त रुपये में भुगतान को विदेशी मुद्रा में प्राप्त एक्सपोर्ट भुगतान के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा, भारतीय एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (एक्जिम बैंक) या भारत सरकार की ऋण व्यवस्था के तहत वित्त पोषित एक्सपोर्ट के लिए भी भारतीय रुपये में बिल जारी किया जा सकेगा। एसीयू वर्ष 1974 में स्थापित एक क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य व्यापार निपटान को आसान बनाना और विदेशी मुद्रा के बार-बार हस्तांतरण को कम करना है। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमा, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमा, पाकिस्तान और श्रीलंका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट के लिए अनुबंधों में एसीयू द्वारा निर्धारित मुद्रा का उपयोग करना होगा।

इंडिया को बैटरी स्टोरेज में आत्मनिर्भर बनने में लगेगा एक दशक : रिपोर्ट

नयी दिल्ली@एजेंसी। भारत को बैटरी भंडारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में अभी करीब 10 साल और लग सकते हैं। इसका बैटरी सेल के जरूरी उपकरणों के विनिर्माण की मौजूदा क्षमता और मांग के बीच बड़ा अंतर है। शोध एवं परामर्श कंपनी वुड मैकेंजी ने यह बात कही है। बैटरी भंडारण पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में प्रतिस्पर्धी निविदाओं से अनुमानित करीब 260 गीगावाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) की मांग के मुकाबले भारत की घरेलू बैटरी विनिर्माण क्षमता दो जीडब्ल्यूएच यानी एक प्रतिशत से भी कम है।

वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार, इससे नीतिगत स्तर पर तेजी के बावजूद भारत बैटरी के लिए आयात पर निर्भर बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2035 तक 226 जीडब्ल्यूएच से अधिक सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की घोषणाओं के बावजूद परियोजनाओं में देरी, वित्तीय व्यावहारिकता को लेकर चुनौतियां और चीन तथा दक्षिण कोरिया की प्रौद्योगिकी पर निर्भरता के कारण भारत अभी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बैटरी सेल उद्योग से 10 से 15 साल दूर है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 तक भारत में केवल दो जीडब्ल्यूएच की बैटरी सेल विनिर्माण क्षमता चालू हुई है, जबकि चीन की संचयी क्षमता 2,695 जीडब्ल्यूएच है। चीन कैथोड, एनोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट जैसे बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख हिस्सों में 85 से 98 प्रतिशत तक वैश्विक क्षमता नियंत्रित करता है। इस अंतर को कम करने के लिए भारत को अपने विनिर्माण परिवश में व्यापक बदलाव करने होंगे। वुड मैकेंजी की निदेशक अंकिता चौहान ने कहा, ''भारत की बैटरी भंडारण संबंधी महत्वाकांक्षाएं मजबूत हैं, लेकिन नीतिगत इरादे और वास्तविक उत्पादन क्षमता के बीच बड़ा अंतर है।'' उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में कंटेनर और बैटरी पैक जैसे अंतिम स्तर के उपकरणों के विनिर्माण में अवसर हैं। इनके लिए स्थानीय उत्पादन तकनीकी रूप से संभव और व्यावसायिक रूप से लाभकारी है। चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर सेल उद्योग तैयार करने की चुनौती अधिक कठिन है और इसके लिए एक दशक या उससे अधिक समय तक लगातार और लक्षित निवेश की जरूरत होगी, जो मौजूदा प्रोत्साहन योजनाओं से कहीं अधिक होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विनिर्मित बैटरी सेल आयातित सेल की तुलना में 25 से 40 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह सीमित उत्पादन स्तर, अधिक वित्तीय लागत और कमजोर आपूर्तिकर्ता परिवेश है। हालांकि, भारत की लागत स्थिति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। भारत लागत के नजरिये से जापान की तुलना में 154 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया की तुलना में नौ प्रतिशत फायदे की स्थिति में है। प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो से पांच वर्षों में बैटरी सेल विनिर्माण में आयातित कच्चे माल के साथ धीरे-धीरे विकास होने की उम्मीद है, जबकि पूरी तरह से परिशोधन क्षमता विकसित करने में 10 साल से अधिक समय लग सकता है।

हत्या के दोषी 105 वर्षीय व्यक्ति को न्यायालय ने दिलायी राहत

नयी दिल्ली@एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल को शुक्रवार को राहत देते हुए 2024 में उसे दी गई जमानत को ही अंतिम आदेश करार दे दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वर्ष 1920 में जन्मे मंडल को 1988 में हुई हत्या के मामले में 1994 में 68 वर्ष की उम्र में दोषी ठहराया गया था। वह 29 नवंबर, 2024 तक जेल में था तभी शीर्ष अदालत ने उसे जमानत दी थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए मामले को बंद किया जा रहा है और यदि कोई शेष सजा बाकी है तो उसे माफ किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भले ही उम्रकैद की सजा पूरी नहीं हुई हो, फिर भी मंडल को दोबारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा। पीठ ने 2024 के अंतरिम जमानत आदेश को पूर्ण और अंतिम करार दिया। अदालत ने पूर्व में कहा था, '' अंतरिम आदेश के तौर पर, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता रसिक चंद्र मंडल को मौजूदा रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम ज़मानत/पैरोल पर रिहा किया जाए, और इसके लिए शर्तें निचली अदालत तय करेगी।'' शीर्ष अदालत ने उस समय मंडल की उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का भी उल्लेख किया था। वर्ष 2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली मंडल की अपील खारिज कर दी थी।

PODDAR PIGMENTS

पोद्दार पिगमेंट्स लिमिटेड

सीआईएन : L24117RJ1991PLC006307

पंजीकृत कार्यालय : ई-10-11 एवं एफ-14 से 16, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर, (राजस्थान) - 302022, दूरभाष नंबर : 0141-2770202/03

ई-मेल पता : com.sec@poddarpigmentsltd.com, वेबसाइट का पता : www.poddarpigmentsltd.com

35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पोद्दार पिगमेंट्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') सोमवार, 21 सितम्बर, 2026 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओऐवीऍम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों व संबंधित नियमों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और खुलासा आवश्यकताएं) नियम, 2015 के नियमों एवं कंपनी मामलात मंत्रालय द्वारा जारी आम परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 एवं 03/2025 जो क्रमशः दिनांक 8 अप्रेल, 2020, दिनांक 13 अप्रेल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021, दिनांक 8 दिसंबर, 2021, दिनांक 5 मई, 2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022, दिनांक 25 सितंबर, 2023, दिनांक 19 सितंबर, 2024 एवं दिनांक 22 सितंबर, 2025 (''एमसीए परिपत्रों'') को जारी किये गये थे व भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 एवं SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 जो क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020, दिनांक 15 मई, 2021, दिनांक 13 मई, 2022, दिनांक 5 जनवरी, 2023, दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 (''सेबी परिपत्रों'') को जारी किये गये थे, के अनुपालन में है।

उक्त वर्णित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार कंपनी की 35वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के यहां पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी सदस्य ने इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध नहीं किया हो। इसके अलावा, कंपनी की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी तक पहुंचने के लिए सटीक पथ सहित वेब-लिंक वाला एक पत्र, उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां पंजीकृत नहीं कराया है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए ही 35वीं एजीएम से जुड़ व उसमें भाग ले सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया, एजीएम में शामिल होने और 35वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग (उन सदस्यों को शामिल करते हुए जिनके पास कंपनी के शेयर भौतिक रूप में है या जिन्होंने अपने ई-मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के यहां पंजिकृत नहीं कराए) के विस्तृत निर्देश/तरीके 35वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.poddarpigmentsltd.com, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट https://www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (बीएसई लिमिटेड : www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड : www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने कंपनी/आरटीए/डीपी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम सभा के दौरान ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन विवरण प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं :

भौतिक शेयर धारक	कृपया https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html लिंक पर जायें और उसमें निर्देशित ई-मेल आईडी को अपडेट करने की प्रक्रिया का पालन करें। जो सदस्य कंपनी की 35वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद अपना ईमेल पता अपडेट करता है वह आरटीए से ई-मेल के जरिए इस एजीएम के लिए ई-वोटिंग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस की प्रति की सॉफ्ट कॉपी और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया जारी करने का अनुरोध कर सकता है। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य आरटीए को investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर एक ई-मेल भेज सकता है।
डीमैट शेयर धारक	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें व डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें।

कंपनी निदेशक मंडल ने 15 मई 2026 को आयोजित हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक 10 रुपए फेसवेल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 4 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। हालांकि, यह लाभांश आगामी 35वीं वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। सेबी ने 3 नवंबर 2021 को जारी परिपत्र तथा इसके बाद इस संबंध में जारी परिपत्रों के माध्यम से भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले धारकों के लिए पैन, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी विवरण और नामांकन का पंजीकरण अनिवार्य किया है। इस प्रावधान के अनुसार, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले जिन सदस्यों के फोलियो में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कोई भी जानकारी अपडेट नहीं है, जैसे पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर, वे 1 अप्रैल 2024 से ऐसे फोलियो से संबंधित लाभांश, ब्याज या प्रतिभूतियों के भुगतान को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के पात्र होंगे। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, जिन भौतिक फोलियो में निर्धारित अंतिम तिथि से पहले इनमें से कोई भी आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं की गई है, उनसे संबंधित लाभांश कंपनी द्वारा रोककर रखा जाएगा। सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित फोलियो में केवाईसी जानकारी अपडेट किए जाने के बाद ही लाभांश उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यक जानकारी अपडेट करा लें:

भौतिक शेयर धारक	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी विवरण, नामांकन संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार भरकर और हस्ताक्षरित फॉर्म संख्या आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3 या एसएच-13, जो भी लागू हो, आरटीए यानि एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई-400083 को प्रेषित करें। संबंधित प्रपत्र https://web.in.mpms.mufg.com/client-download.html से डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या समस्या के लिए सदस्य आरटीए को investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।
डीमैट शेयर धारक	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के पास अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कराएं।

वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से लाभांश से होने वाली आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है। कंपनी को सदस्यों को दिए जाने वाले लाभांश पर आयकर अधिनियम, 2025 में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी निवास स्थिति, पैन और आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी श्रेणी की जानकारी अपने संबंधित डीपी के पास पूरी और/या अपडेट कराएं। यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो सदस्य आवश्यक दस्तावेज आरटीए को भेजकर अपनी निवास स्थिति, पैन और श्रेणी से संबंधित जानकारी पूरी या अपडेट करा सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
पोद्दार पिगमेंट्स लिमिटेड

एसडी/-
राजीव कुमार
कंपनी सक्रेटरी और अनुपालन अधिकारी
ACS: 33990

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21 अगस्त, 2026